-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **क्षेत्राधिकारी अतर्रा के नेतृत्व में थाना अतर्रा पर जागरुकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में ई-रिक्शा चालकों को एकत्रित कर उन्हे यातायान नियमों का पालन करने के लिए किया गया जागरुक।**
- **कार्यक्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं का एकत्रित कर उन्हे शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एव कार्यक्रमों के बारे में दी गई जानकारी साथ ही तीन नए कानूनों के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में दी गई जानकारी।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में यातायात जागरुकता माह नवंबर के अंतर्गत जनपद में होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा यातायात नियमों के प्रति आम-जनमानस को जागरुक करने हेतु व्यापक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इसी क्रम में आज दिनांक 11.11.2025 को क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में थाना अतर्रा पर ई-रिक्शा चालकों को एकत्रित कर उन्हे यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया। इस दौरान उन्हे अपने-अपने ई-रिक्शा की नंबरिंग कराने, अपने नाबालिग बच्चों को ई-रिक्शा न चलाने देने आदि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं को शासन द्वारा उनकी सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं हेल्पलाइन नंबरों जैसे- मुख्यमंत्री हेल्पालाइन-1076, वीमेन हेल्पलाइन-1090, चाइल्ड केयर हेल्पलाइन, आपाताकालीन पुलिस सेवा- डायल यूपी 112 जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को वर्तमान में आधुनिक तरीकों से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें- केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगना। ओटीपी फ्रॉड जिसमें कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करना। यूपीआई स्कैम (UPI Scam), सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी कॉल्स, आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी देकर जागरूक किया गया साथ ही आमजन से अपील है कि अनजान व्यक्ति/अनजान फोन नम्बर के संपर्क मे ना रहें यदि अनजान व्यक्ति के द्वारा आपके बैंक खातों में किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो तत्काल अपने बैंक, नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज कराए। सभी को 01 जुलाई 2024 से लागू हुए 03 नए आपराधिक कानूनों के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।